# न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
## पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

**प्रकरण संख्या** – 72/2025 अपील (GCMS 2025/83)
**पंजीयन दिनांक**– 20/02/2025

मणीलाल आत्मज रतना दर्जी, निवासी दीवड़ाछोटा, तहसील गलियाकोट व जिला डूंगरपुर (राज.)

**– अपीलांट**

**वनाम**

1. तुलसीराम आत्मज रतना दर्जी, निवासी दीवडाबड़ा, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर
2. ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत दीवडाबडा, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर
3. सरपंच, ग्राम पंचायत दीवडा बडा, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर

**– रेस्पोडेंट्स**

**उपस्थितिः–**

1. हितेश गिरी गोस्वामी – वकील अपीलांट
2. श्री भगवत सिंह शक्तावत – वकील रेस्पोडेंट संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा–75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 02/2017
निर्णय दिनांक 03.07.2019

**निर्णय**

दिनांक 27/03/2026

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956, की धारा–76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 02/2017 निर्णय दिनांक 03.07.2019 के विरूद्ध पेश की गयी।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 तुलसीराम को ग्राम पंचायत, दीवडाबड़ा द्वारा दिनांक 26.11.1981 को

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

30x40 फीट भूमि आवंटित की जिस पर वह काबिज होकर उपभोग कर रहा है। दिनांक 25.04.2012 को ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेंट संख्या 01 के स्वामित्व वाले भूखण्ड को शामिल करते हुए 35x74 फीट में भूखण्ड का बापी पट्टा अपीलांट के पक्ष में जारी कर दिया तथा दिनांक 26.02.2013 को उसका पंजीयन करवा लिया। रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा जिला कलक्टर, डूंगरपुर के यहां आवेदन प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर ने दिनांक 03.07.2019 को अपीलांट के पक्ष में जारी पट्टे दिनांक 25.04.2012 को निरस्त करते हुए ग्राम पंचायत को भूखण्ड नीलामी के जरिये निस्तारण करने का आदेश दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 05 अधिनियम के साथ प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट वृद्ध है। जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा कोरोना काल में आदेश पारित किया तथा अपीलांट का स्वास्थ्य भी प्रतिकूल रहने से आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। देरी का न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त कारण है जिससे अपील देरी को क्षमा कर अपील मयाद मानी जावे।

मेरिट पर बताया कि विवादित भूखण्ड ग्राम पंचायत ने कोरम बैठक दिनांक 05.04.2012 के प्रस्तावनुसार अपीलांट को आवंटित कर पट्टा जारी किया तब से अपीलांट उस पर काबिज है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के कब्जे में आये दिन हस्तक्षेप के कारण अपीलांट ने सिविल न्यायालय में दावा पेश किया जो दिनांक 30.10.2021 को अपास्त किया। इसकी अपील विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को धारा 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत सुना जबकि यह प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे के विरूद्ध अपील सुनने

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

का अधिकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 166 के तहत पंचायत समिति को है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बताया कि अपील मयाद बाहर है। देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय में पेश वाद खारिज हो गया है और उसकी अपील भी अपीलीय न्यायालय से दिनांक 16.04.2025 को खारिज हो गई है, जिससे इस न्यायालय में अपील लाने का कोई अधिकार नहीं है। अपील सारहीन है जिससे अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

*हमने विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी का प्रमुख आक्षेप यह है कि जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा आदेश नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम के तहत जारी किया गया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की कार्यवाही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम से शासित है। साथ ही राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम–166 के तहत अपील संबंधित पंचायत समिति को की जा सकती है जिससे जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा अधिकारिता से परे जाकर मनमाने ढंग से पारित किया गया विधि विरूद्ध निर्णय अपास्त योग्य है।*

उपरोक्त परिदृश्य में अपील के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया जाने पर पाया कि प्रथम दृष्टया अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर डूंगरपुर के 03.07.2019 के आदेश के विरूद्ध अत्यधिक विलम्ब से दिनांक 20.02.2025 को अपील प्रस्तुत की गई है जिसका कोई समुचित कारण नहीं है, विशेषकर तब जब उनके द्वारा सिविल न्यायालय में इस बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया जो उनके स्वयं के कथनानुसार अपास्त हुआ एवं उसकी

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

लम्बित अपील भी न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, सागवाड़ा जिला डूंगरपुर द्वारा दिनांक 16.04.2025 को खारिज की जा चुकी है।

जहां तक जिला कलक्टर के दिनांक 03.07.2019 के आदेश के शीर्षक में नियम 14(4)राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम के संदर्भ का प्रश्न है, वह लिपिकीय टंकण त्रुटि प्रतीत होती है क्योंकि इसका उल्लेख विस्तृत आदेश में आगे कहीं भी नहीं है।

जिला कलक्टर की अधिकारिता के प्रश्न के क्रम में गुणावगुण पर विचारोपरान्त एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11006–11008/2012 नागरमल बनाम अति. जिला कलक्टर, सीकर निर्णय दिनांक 30 जुलाई, 2012 का संदर्भ प्रस्तुत प्रकरण पूर्णतः चस्पा होता है, जिसमें धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत रिविजन प्रावधान के तहत अति. जिला कलक्टर द्वारा की गई कार्यवाही उपयुक्त मानी गई है। तद्नुसार 'The state government may either of its own motion or on an application from any person, interested call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution ... in respect of any proceedings to satisfy itself as to the corrections, legality or propriety of any decision or order passed therein and if in any case, it appears to the State Govt. that any such decision or order should be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass orders accordingly. " साथ ही यह भी निर्णित किया कि 'The Additional Collector, Sikar is quite obviously a person authorized by the State Govt. for the exercise of power under section 97 the Act of 1994..."

उक्त विवेचन के आधार पर अधिकारिता संबंधी आक्षेप का उचित समाधान माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश में निहित है। साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा पट्टे के पंजीकरण के संबंध में

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

*भी महत्वपूर्ण बात कही है: "A critical misconception in that registration validates any patta. The legal validity of the patta depends on adherence to prescribed procedures and the legality of the grant itself. Even if registered, an illegal or void patta can be anulled by competent authorities."*

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत अपील में वर्णित कथनों में गुणावगुण पर कोई मेरिट नहीं पाई जाती है। ग्राम पंचायत दीवड़ाबड़ा द्वारा जारी पट्टा नम्बर 23 दिनांक 05.04.2012 के संबंध में जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा पारित निरस्तगी संबंधी आदेश दिनांक 03.07.2019 में कोई विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाए जाने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं समझा जाता है। अतएव विलम्ब से प्रस्तुत अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर निरस्त की जाती है।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर